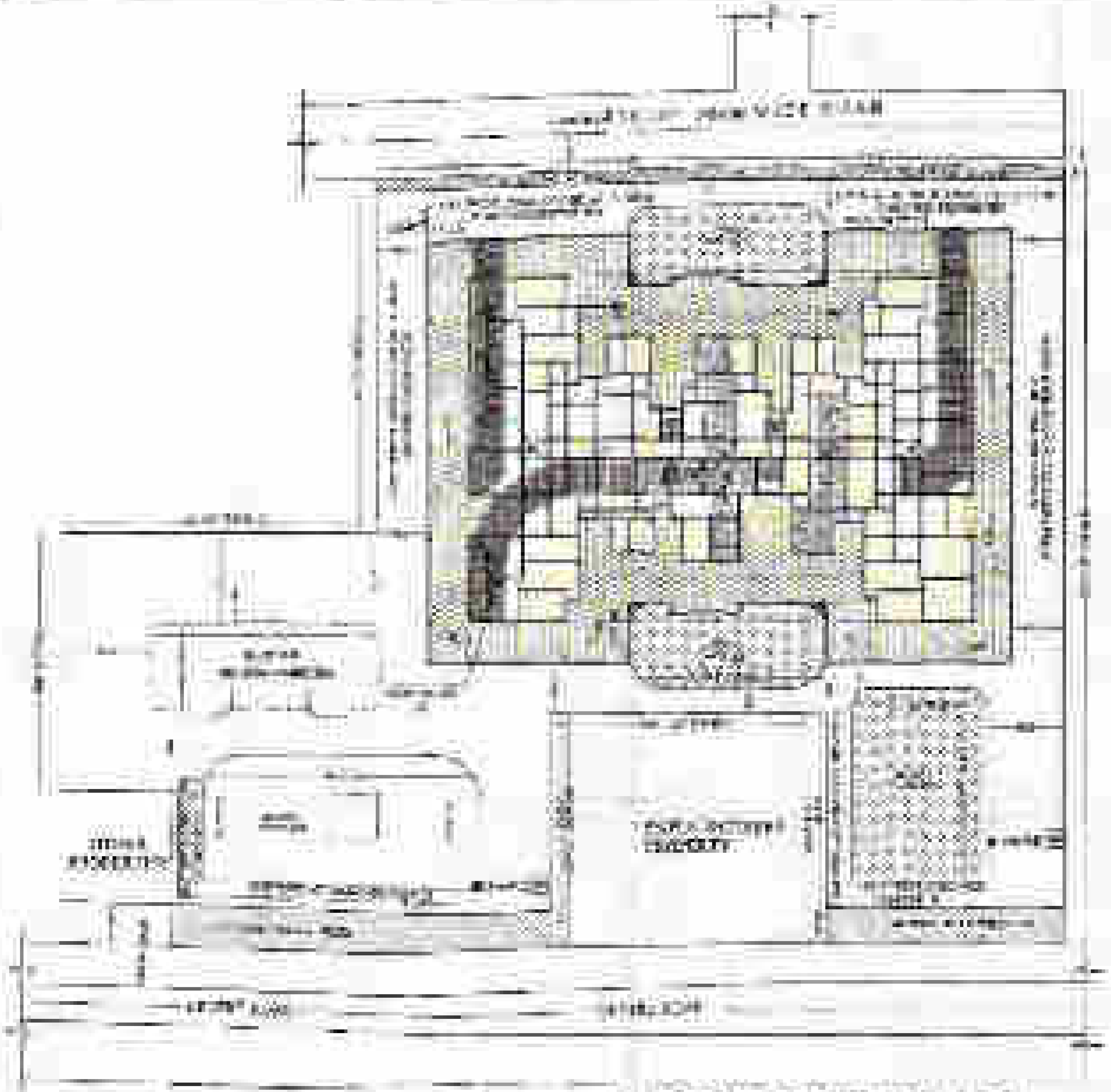

BASEMENT PLAN

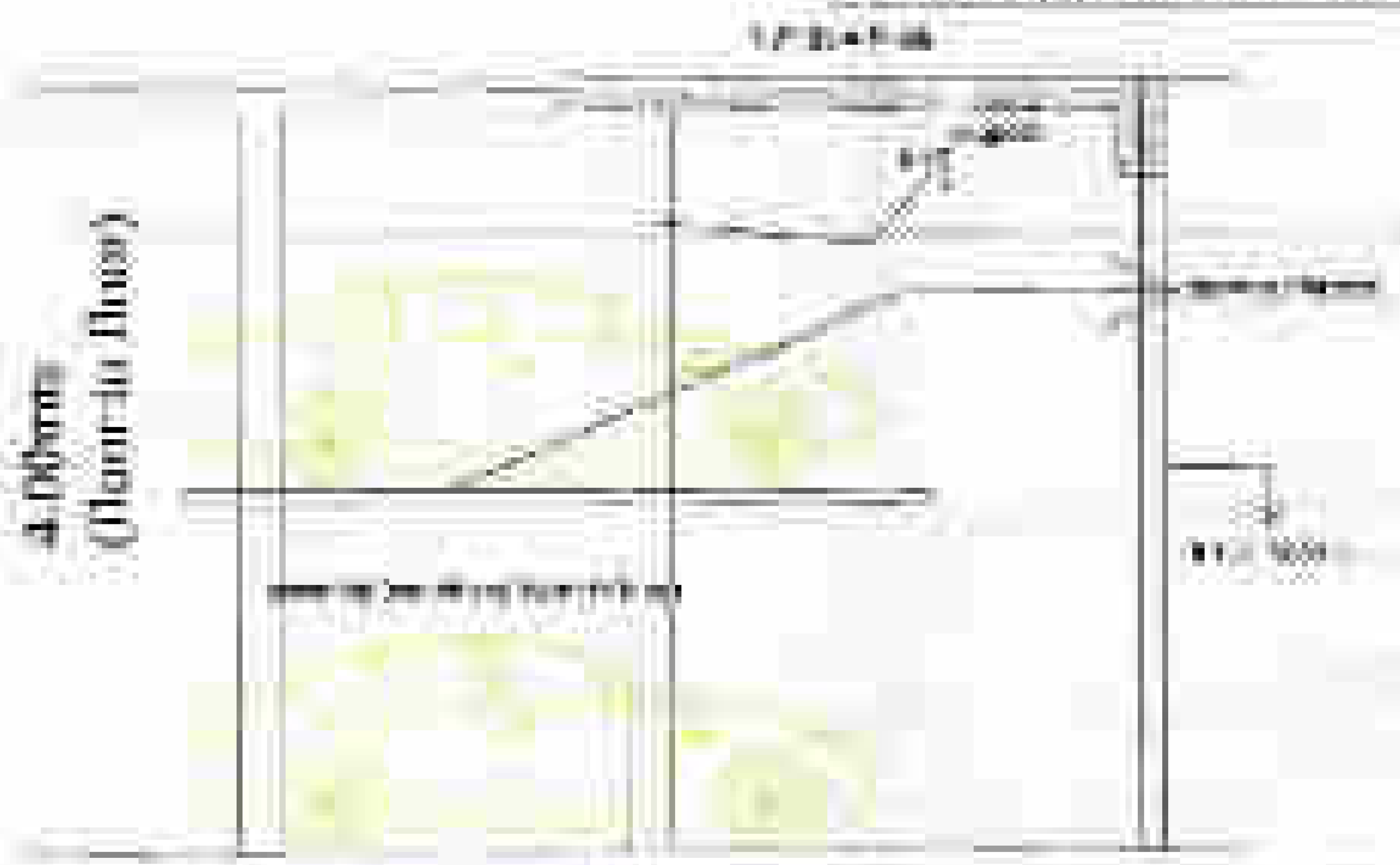

MECHANISED PARKING SECTION DETAIL

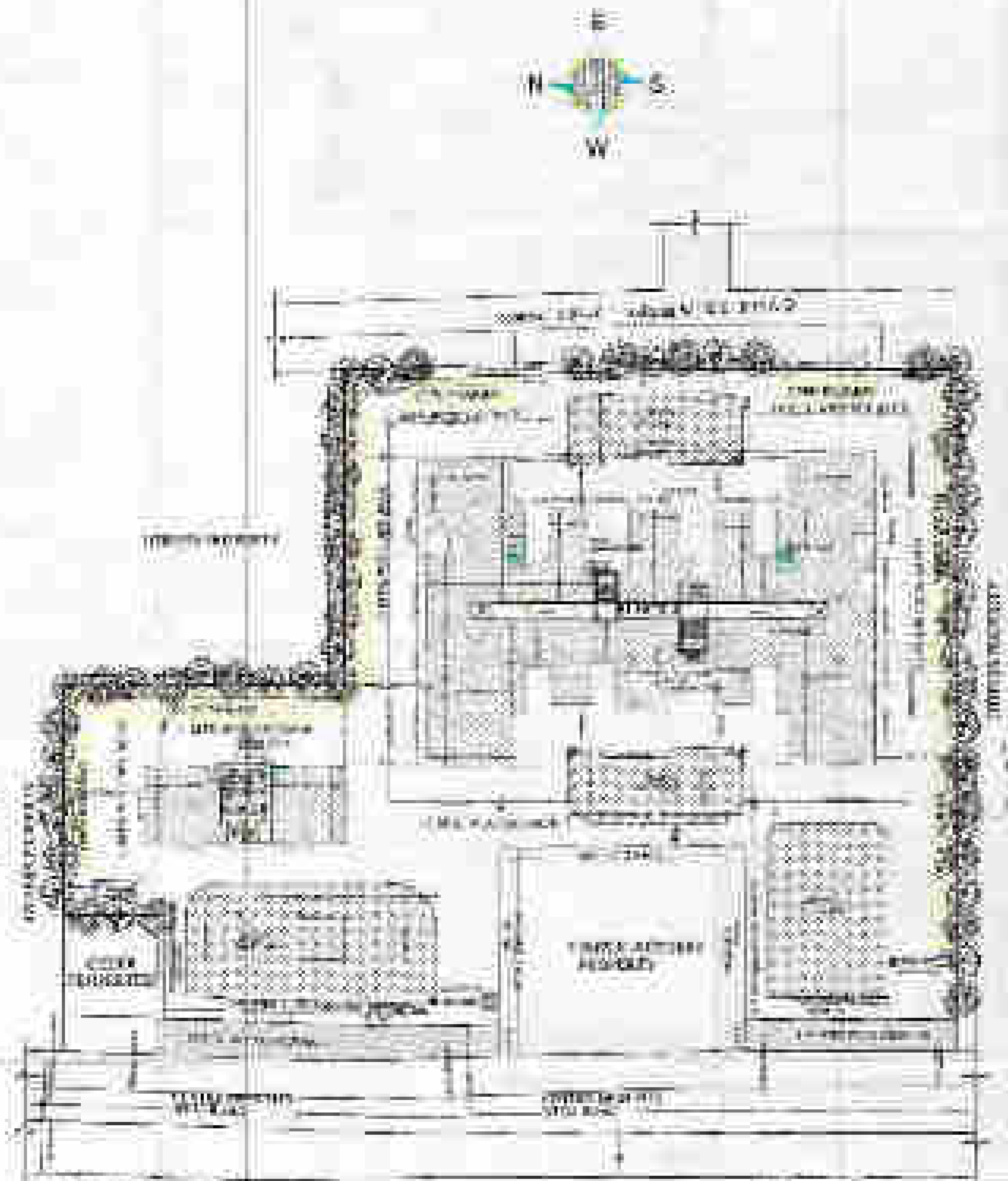

SITE PLAN

FRONT ELEVATION (BLOCK A)
FRONT ELEVATION
(BLOCK B)
SECTION AT BB
(BLOCK B)
STAIR DETAILS
(BLOCK B)
DETAIL FOR RAIN
WATER HARVESTING
FOUNDATION DETAIL
KEY PLAN
ROAD
ROAD
E
N
S
W

(GROUND FLOOR)
(BLOCK B)

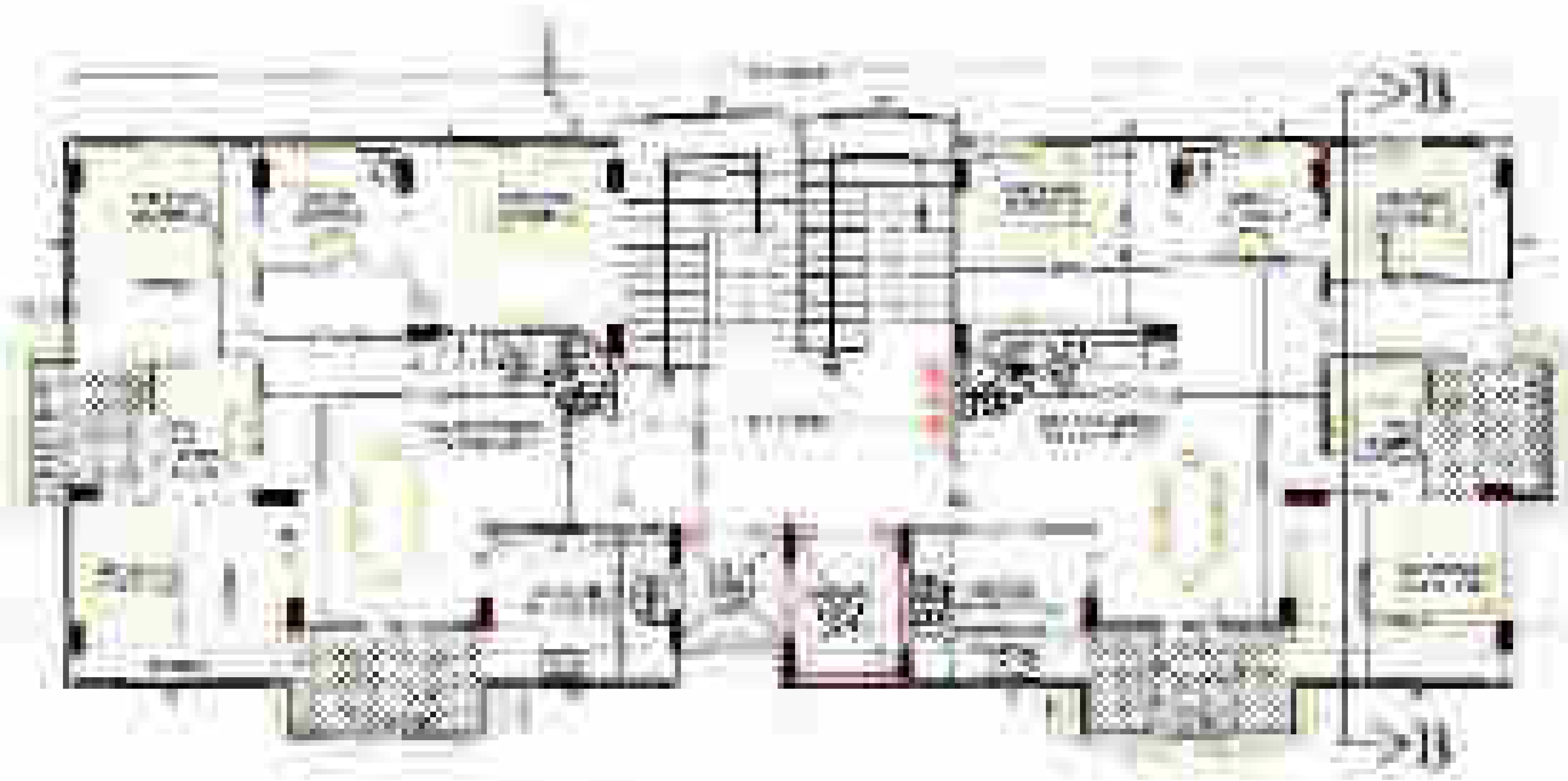

FIRST TO ELEVENTH FLOOR PLAN
(BLOCK B)

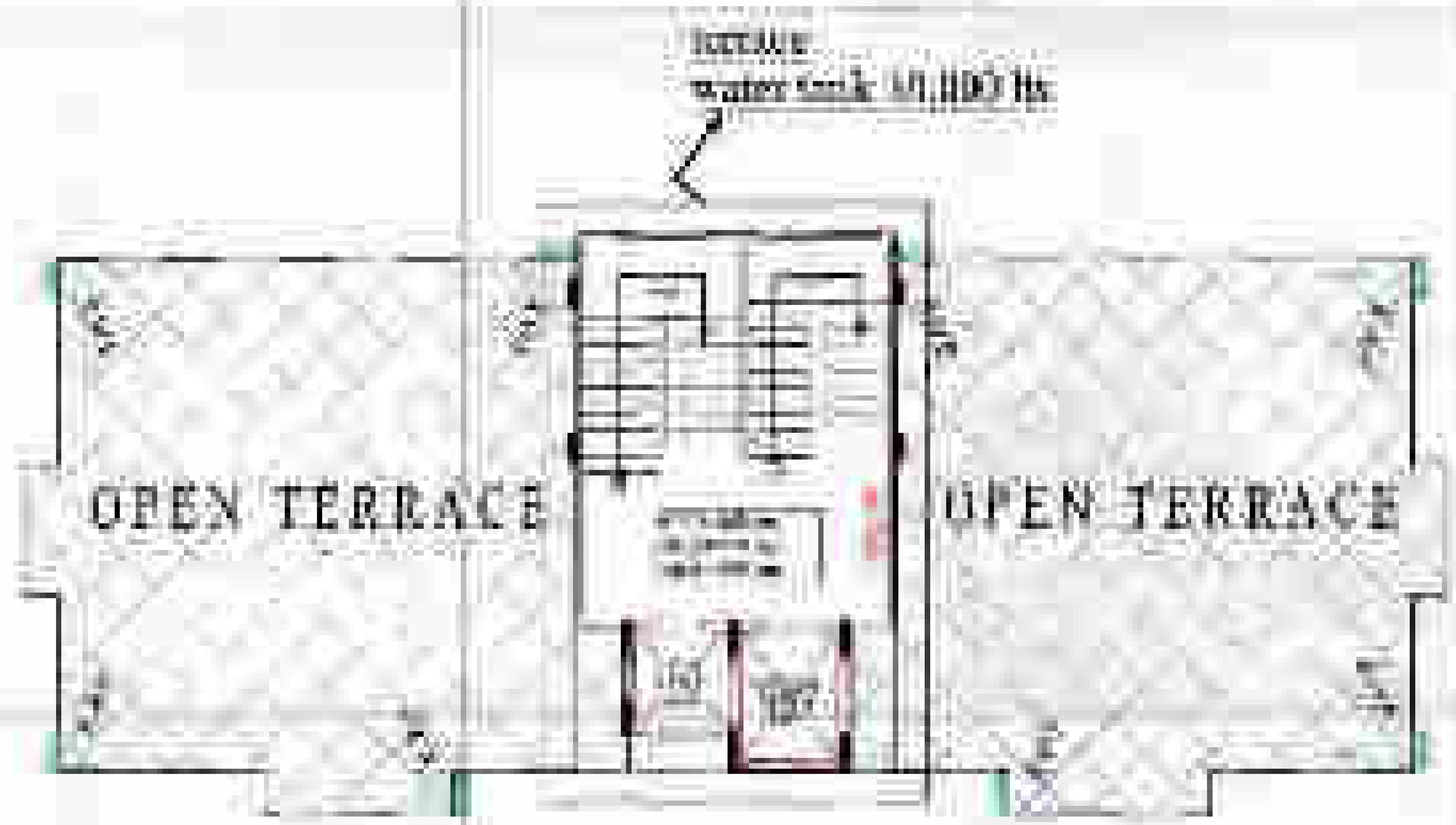

TERRACE PLAN
(BLOCK B)

PROJECT TITLE

SECTION AA (BLOCK A)
STAIR DETAILS
(BLOCK A)
OPEN TERRACE
OPEN TERRACE
(BLOCK A)
TWELTH FLOOR TERRACE
PROJECT TITLE
E
W
S
N

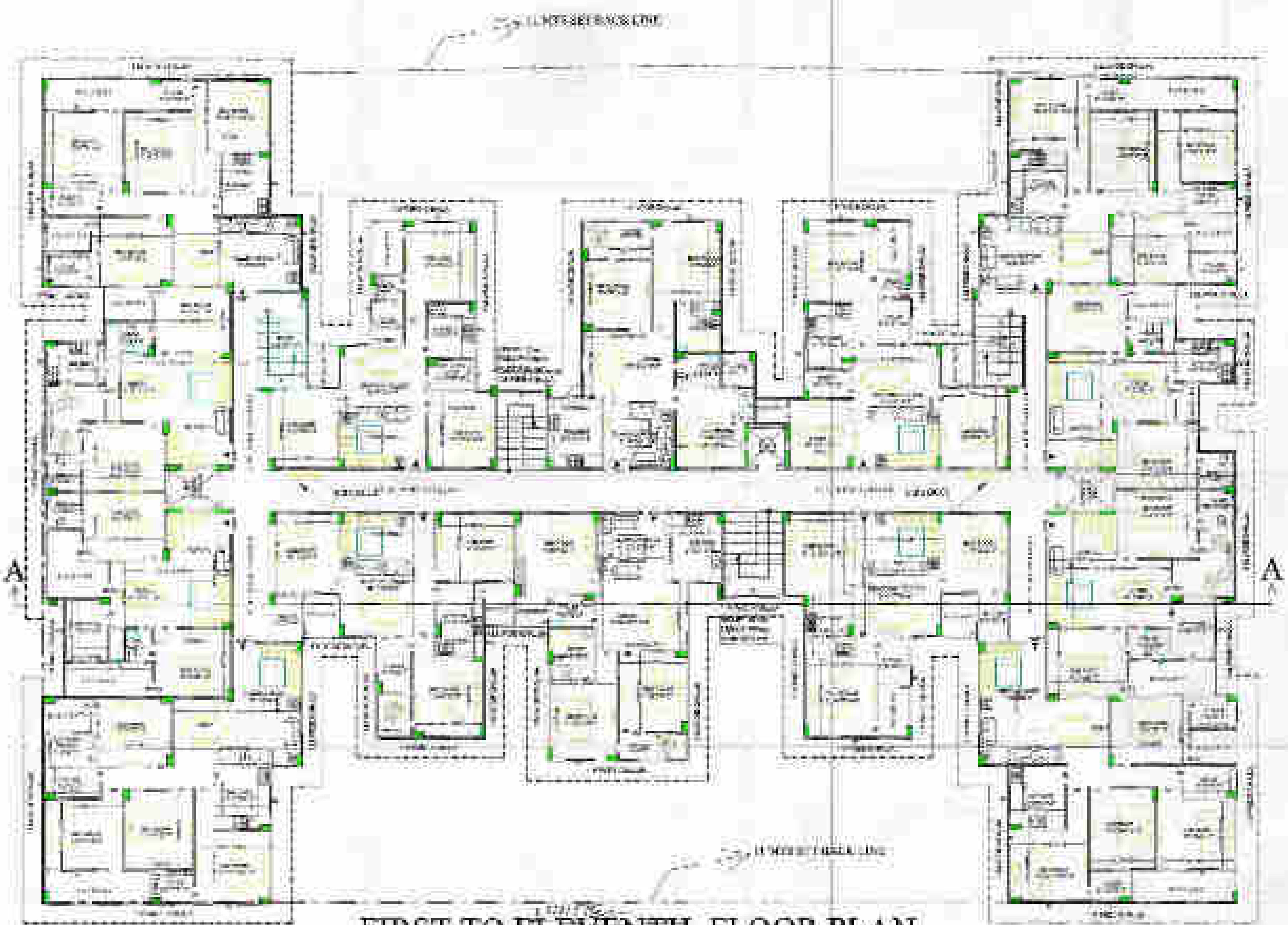

FIRST TO ELEVENTH FLOOR PLAN
(BLOCK A)

APPROVAL OF G.D.A.

PROJECT TITLE

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

(भवन अनुभाग)

पत्रांक.............. सेक्टर......01.............. दिनांक..............................

सेवा में,

श्री/श्रीमती/मैसर्स सीताराम जायसवाल आदि

मु०- सिंघड़िया [illegible] गोरखपुर

आपके पत्र दिनांक 12-12-2012 मानचित्र सं० 1851/2012 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित [illegible] बहुमंजिली भवन निर्माण को मोहल्ला/कालोनी सिंघड़िया [illegible] भूखण्ड/भवन सं० 141, 101/2 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कोई भी परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० वृक्ष/वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम......60......पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना प्रमाण पत्र लिए भवन को प्रयोग में न लावें।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकुपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकुपाई) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे या खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
12. बिजली की लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
13. सड़क, नाली/पटरी अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मेटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
14. यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो वह शर्ते भी मान्य होंगी।
15. सड़क पर अथवा सैटलैन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
16. सुपरविजन एवं सर्टिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
17. पत्र द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 26.12.12 का पालन करना होगा।

संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

सचिव

गोरखपुर विकास प्राधिकरण

गोरखपुर

[illegible]
[illegible] 0241[illegible]
दि० 12-[illegible]

(आर० बी० प्रपत्र संख्या ३२८) प्रपत्र-२

सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र

(नियम १२६०) (ए)

मुकदमा —

अपील [illegible] सन् २०० [illegible] के सम्बन्ध में

पुनरीक्षण — [illegible] न्यायालय में विचाराधीन है।

बनाम

प्रार्थी को निम्नलिखित प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना दी जाए।

[illegible]	[illegible] 12-1-12
[illegible] 10 [illegible]	[illegible]

दिनांक 12-1-2012 उत्तर देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर व पद

पक्ष या वकील का हस्ताक्षर [illegible]

टिप्पणी :- यह पत्र उत्तर के साथ लौटा दिया जायेगा यदि अभिलेख नहीं है तो यह बात बता देनी चाहिए और प्रार्थी को निर्दिष्ट दिनांक को फिर आने के लिए कह देना चाहिए।